

**कार्यालय सहायक आयुक्त/सचिव,  
जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति,  
जिला-धमतरी (छोगो)**

E-Mail.- tribal.dhamtari@gmail.com, tribal.dmt@gmail.com Phone No.- 07722-232142, Fax No.- 07722-232143

क्रमांक / 379 / आदि0वि0 / एआआवि / नक.-92 / 2024-25, धमतरी, दिनांक 29 / 01 / 2025

—:: संशोधित प्रेस विज्ञप्ति ::—

**एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों का वर्ष 2025-26 में कक्षा 6वीं में प्रवेश परीक्षा हेतु चयन की सूचना।**

कार्यालय आयुक्त/पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर(छ.ग) के पत्र क्रमांक/EMRS/456-Part/2024-25/12126 नवा रायपुर दिनांक 28.01.2025 के द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में वर्ष 2025-26 कक्षा 6वीं में प्रवेश परीक्षा दिनांक 16.02.2025 दिन रविवार को प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक (02 घण्टे) जिला मुख्यालय में आयोजित किया जाना था।

नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन के प्रदेश में प्रभावशील आदर्श आचार संहिता के कारण कक्षा 6वीं हेतु प्राक्चयन प्रवेश परीक्षा का आयोजन दिनांक 02 मार्च 2025 दिन रविवार, समय प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक (02 घण्टे) आयोजित किया जावेगा।

  
सहायक आयुक्त एवं सचिव

जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय  
एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति  
जिला-धमतरी(छ.ग.)

पू. क्रमांक / 380 / आदि0वि0 / एआआवि / नक.-92 / 2024-25, धमतरी, दिनांक 29 / 01 / 2025  
प्रतिलिपि :-

01. आयुक्त/पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
02. कलेक्टर/अध्यक्ष, जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, जिला-धमतरी की ओर सादर सूचनार्थ।
03. उप संचालक, जिला जनसम्पर्क धमतरी (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित। कृपया उक्त आशय बाबत सूचना स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में शीर्ष प्रकाशन करवाने का कष्ट करेंगे।
04. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. धमतरी को सूचनार्थ।
05. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-धमतरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. प्राचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पथरीडीह वि0खं0-नगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
07. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, धमतरी/कुरुद/मगनलोड/नगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
08. प्राचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पथरीडीह वि0खं0-नगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



सहायक आयुक्त एवं सचिव  
जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय  
एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति  
जिला-धमतरी(छ.ग.)